छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांकः 02.02.2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में हुई कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा, पूर्व कुलपति, बी–113, निराला नगर, लखनऊ।	सदस्य
3.	श्री अरविन्द चौधरी, 101 मेडिटेक अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 59, सेक्टर–56, गुडगॉव, हरियाणा	सदस्य
4.	डॉ० श्याम बाबू गुप्ता, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर	सदस्य
5.	प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग	सदस्य
6.	प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, आचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	डॉ0 अंशु यादव, उपाचार्या, आई0बी0एम0	सदस्य
8.	डा0 नीरज कुमार सिंह, उपाचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
9.	डॉ0 मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
10.	डा0 एस.पी. शाक्य, प्राचार्य, आर.एम.पी. डिग्री कालेज, सीतापुर	सदस्य
11.	डा0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य, डी0बी0एस0 पी0जी0 कॉलेज, कानपुर	सदस्य
12.	डा0 एन.एन.सी. अवस्थी, वनस्पति विज्ञान विभाग, ब्रह्मानन्द पी0जी0 कॉलेज, कानपुर	सदस्य
13.	श्री धर्मेन्द्र वर्मा, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
14.	श्री सय्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्यो डॉ0 मुनेश कुमार एवं डॉ. आर0के0 गुप्ता का स्वागत करते हुए परिषद को परिचय कराया एवं सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मद सं०–1: कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 28.07.2012 तथा आपात बैठक दिनांकः 01.12.2012 एवं आपात बैठक दिनांकः 10.01.2013 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से कार्यपरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 28.07.2012 तथा आपात बैठक दिनांकः 01.12.2012 एवं आपात बैठक दिनांकः 10.01.2013 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की।

मद सं०–2: परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांकः 05.12.2012 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

परिषद द्वारा सम्यक् विचारापरोन्त सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांकः 05.12.2012 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

मद सं०–3: विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश लेने के बाद पाठ्यक्रम छोड़कर चले जाने पर शुल्क वापसी किये जाने हेतु नीतिगत निर्णय लिये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश लेने के बाद पाठ्यक्रम छोड़कर चले जाने पर शुल्क वापसी किये जाने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि छात्र/छात्रा कक्षायें प्रारम्भ होने के पहले विश्वविद्यालय परिसर में संचालित संस्थान को छोड़कर जाते हैं तो उस छात्र/छात्रा द्वारा शिक्षण शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि में से रु. 1000/– की कटौती की जायेगी किन्तु यदि छात्र/छात्रा कक्षायें प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्थान को छोड़कर जाते हैं तो उसके द्वारा जमा किये गये शुल्क में आनुपातिक कटौती की जायेगी। यदि छात्र/छात्रा प्रवेश समाप्त होने की तिथि के उपरान्त संस्थान को छोड़ते हैं तो उस परिस्थिति में उसके द्वारा जमा किये गये शुल्क में से कितने राशि की कटौती की जाये इसका निर्णय प्रवेश समिति द्वारा लिया जायेगा।

मद सं०–4: विश्वविद्यालय में संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल "IBM-International Journal of Business Management" प्रकाशित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल "IBM-International Journal of Business Management" प्रकाशित किये जाने की अनुमति परिषद द्वारा प्रदान करने के साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इसमें प्रस्तावित बजट का पुनः परीक्षण कर लिया जाये तथा जर्नल का प्रकाशन पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही कराया जाये।

मद सं०–5: नैक प्रभारी की संस्तुति पर गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कंसल्टेंसी कल्चर विकसित किये जाने हेतु तैयार किये गये 'कंसल्टेंसी रेग्यूलेशन एट सी.एस.जे.एम. यूनीवर्सिटी' के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।

नैक प्रभारी की संस्तुति पर गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कंसल्टेंसी कल्चर विकसित किये जाने हेतु तैयार किये गये 'कंसल्टेंसी रेग्यूलेशन एट सी.एस.जे.एम. यूनीवर्सिटी' के प्रारूप को परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य के लिए प्लानिंग बोर्ड या संकायाध्यक्षों की समिति बनाई जाये तथा समस्त कार्य कम्प्यूटराइज्ड हो, इसके लिए शोधार्थियों का भी सहयोग लिया जा सकता है।

मद सं०–6: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर, कानपुर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों हेतु छात्र संघ के चुनाव सम्बन्धी तैयार किये गये परिनियम के अनुमोदन पर विचार।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर, कानपुर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों हेतु छात्र संघ के चुनाव सम्बन्धी तैयार किये गये परिनियम में छात्र प्रतिनिधियों के माध्यम से गठित होने वाले छात्र संघ के दृष्टिकोण से लिंगदोह समिति की आख्या के अन्तर्गत नया सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व परीक्षण किये जाने के पश्चात् ही लागू किये जाने का निर्णय परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

मद सं०–7: **विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के वर्ष 1968 से 2009 तक के ऐसे अभ्यर्थियों, जिनकी डिग्री (प्रमाण पत्र) पूर्व से तैयार नहीं हैं, उन्हें कम्प्यूटराइज्ड डिग्री उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी दिसम्बर, 2012 से प्रारम्भ की गयी ऑन–लाइन प्रक्रिया से परिषद को संसूचित कर अनुमोदन प्रदान करने पर विचार।**

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के वर्ष 1968 से 2009 तक के ऐसे अभ्यर्थियों, जिनकी डिग्री (प्रमाण पत्र) पूर्व से तैयार नहीं हैं, उन्हें कम्प्यूटराइज्ड डिग्री उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी दिसम्बर, 2012 से प्रारम्भ की गयी ऑन–लाइन प्रक्रिया से परिषद संसूचित हुई।

मद सं०–8: **विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–सी0एस0जे0एम0यू0/आर.कैम्प/1413/2012 दिनांकः 1/2.11.2012 द्वारा परीक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान की अधिकतम सीमा रु0 40,000/– से 60,000/– किये जाने के प्रशासनिक आदेश के क्रम में जिन परीक्षकों का भुगतान लम्बित है उनको रु. 60,000/– की सीमा तक भुगतान किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किये जाने पर विचार।**

परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–सी0एस0जे0एम0यू0/आर.कैम्प/1413/2012 दिनांकः 1/2.11.2012 द्वारा परीक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान की अधिकतम सीमा रु0 40,000/– से 60,000/– किये जाने के प्रशासनिक आदेश के क्रम में सहमति प्रदान की गयी। साथ ही सेमेस्टर परीक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को उक्त सीमा से अलग रखे जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं०–9: **उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, लखनऊ के पत्र संख्या–1577/सत्तर–4–2012–40(1)/2011 दिनांकः 22.11.2012 के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अंग्रेजी विभाग में प्रवक्ता के 02 पद एवं शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 02 पद को दिनांकः 28.02.2013 तक अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, पर विचार।**

उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, लखनऊ के पत्र संख्या–1577/सत्तर–4–2012–40(1)/2011 दिनांकः 22.11.2012 के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अंग्रेजी विभाग में प्रवक्ता के 02 पद एवं शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 02 पद को दिनांकः 28.02.2013 तक अस्थायी रूप से सृजित किये गये हैं। शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 02 पदों के सम्बन्ध में श्रीमती नलिनी मिश्रा एवं श्री ठाकुर प्रसाद के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे दोनों शिक्षक पूर्व में 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत स्वीकृत पदों पर कार्यरत थे, अतः उनकी सेवाओं का विस्तरण किया जाना चाहिए।

गहन विचार विमर्श के उपरान्त परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती नलिनी मिश्रा एवं श्री ठाकुर प्रसाद की सेवायें दिनांकः 31.03.2012 तक के लिए ही थीं तत्पश्चात् पदों के सृजन एवं अन्य कार्यवाही करने में लगभग 10 माह का अन्तराल हो गया है, अतः इन पदों पर श्रीमती नलिनी मिश्रा एवं श्री ठाकुर प्रसाद की सेवाओं का विस्तरण किये जाने के स्थान पर सृजित पदों की अवधि एक वर्ष और बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया जाये, क्योंकि उक्त पद दिनांकः 28 फरवरी, 2013 तक के लिए ही शासन द्वारा सृजित

किये गये हैं, शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित पदों को विज्ञापित कराते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 04 मार्च, 2011 के मद संख्या–3(क)(i) में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी विभाग में सृजित प्रवक्ता पद पर डॉ0 सुमना विश्वास पत्नी डॉ0 देवोपम दास को तथा मद संख्या–3(ख)(xiv) में स्ववित्तपोत्ति योजनान्तर्गत संचालित अंग्रेजी विभाग (एम.फिल. अंग्रेजी) में प्रवक्ता पद पर जसप्रीत कौर पत्नी निशान्त गुलाटी को नियुक्ति प्रदान की गयी थी, किन्तु प्रशासनिक आदेश निर्गत करते समय 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी विभाग में सृजित प्रवक्ता पद हेतु डॉ0 जसप्रीत कौर को एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अंग्रेजी विभाग (एम.फिल. अंग्रेजी) में प्रवक्ता पद हेतु डॉ0 सुमना विश्वास को नियुक्ति पत्र निर्गत किये गये। इस सम्बन्ध में कार्यपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा करा ली जाये।

(अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

(क) कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 20.01.2012 के मद संख्या–8(क) एवं 8(ख) में दर्शित शैक्षणिक विभागों में शैक्षिक पदों के विज्ञापन संख्या–सी.एस.जे.एम.यू./02/2011 दिनांकः 16.03.2011 एवं विज्ञापन संख्या– सी.एस.जे.एम.यू./03/2010 दिनांकः 08.06.2010 एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के कम्प्यूटर प्रोग्रामर हेतु विज्ञापन संख्या– सी.एस.जे.एम.यू./03/2009 दिनांकः 08/10.06.2009 एवं पुनः विज्ञापन संख्या–सी.एस.जे.एम.यू./05/2010 दिनांकः 23/27.12.2010 द्वारा विभिन्न पदों के विज्ञापन हेतु योग्यता के सम्बन्ध में शासनादेशों का पालन हुआ है या नहीं? के परीक्षण हेतु कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 28.07.2012 के मद संख्या–3 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांकः 10.01.2013 को आख्या प्रस्तुत की गयी,

"जिन पदों के साक्षात्कार परिणाम के लिफाफे अभी नहीं खोले गये हैं उनसे सम्बन्धित नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर उन पदों को पुनः विज्ञापित कर चयन प्रक्रिया आरम्भ की जाये।

परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समिति की उक्त आख्या को स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ख) डॉ0 सुरेश चन्द्र द्विवेदी, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, से0नि0, को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद के सदस्य डॉ0 महेन्द्र सिंह सोढा, पूर्व कुलपति, द्वारा की गयी परीक्षण आख्या के क्रम में डॉ0 सुरेश चन्द्र द्विवेदी, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, से0नि0, के प्रत्यावेदन पर विचार हेतु गठित समिति द्वारा दिनांकः 21.12.2012 को आख्या प्रस्तुत की गयी, जो कि निम्नवत् है–

"उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालयीय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डॉक्यूमेन्टेशन पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक की शैक्षिक योग्यता श्री द्विवेदी के पास सम्बन्धित तिथियों पर होनी आवश्यक है, जो श्री द्विवेदी नहीं रखते हैं।"

परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समिति की उक्त आख्या को स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ग) श्री विनीत कटियार, प्रवक्ता, केमिकल इंजी0 विभाग, यू0आई0ई0टी0 द्वारा वर्तमान में अपने विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन पर परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री कटियार बिना किसी स्वीकृत अवकाश के लगातार अनुपस्थित रहे, अतः अन्य विधिक कार्यवाही करने के पूर्व श्री कटियार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये।

(घ) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के चयन हेतु विषय–विशेषज्ञ की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यपरिषद द्वारा पूर्व में कुलपति को अधिकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के चयन हेतु विषय–विशेषज्ञ की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में पुनः कुलपति को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ङ) अनुदानित शिक्षकों की भाँति ही स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में अध्यापनरत अर्हताधारी शिक्षकों को भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत पी–एच0डी0 में पर्यवेक्षक (Supervisor) नियुक्त किये जाने की अनुमति परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदान कर दी गयी है।

(च) विश्वविद्यालय के अध्यादेश में अब तक हुए संशोधनों को समाहित करते हुए अद्यतन किये जाने एवं अन्य आवश्यक संशोधन किये जाने के निमित्त समिति गठित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से परिषद द्वारा लिया गया।

(छ) बी0एस–सी0 (ऑप्टोमेट्री) एवं बी0एस–सी0 (रेडियोलॉजिकल एण्ड इमेजिंग टेक्निक्स) पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 7.14 के क्रमांक–23 एवं 24 पर सम्मिलित किये जाने के साथ ही सम्बन्धित अध्यादेश को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–52(6) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–516/जी0एस0 दिनांकः 16.01.2013 से परिषद को अवगत कराया गया, जिससे परिषद संसूचित हुई।

अन्त में माननीय कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो0 अशोक कुमार)
कुलपति

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव